

प्रेसनोट दिनांक 15.01.2021

1. दिनांक 14.01.21 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि देव पत्र मांझी पुत्र रामरूप मांझी नि० तिहुरा उपरहार थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 21/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 14.01.21 को वादी उ०नि० श्री विजय कुमार सोनी थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कपिल देव यादव पुत्र अभिमन्यु यादव नि० चौरहिया समंथा थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 14/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 14.01.21 को वादी उ०नि० श्री पंकज कुमार थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पवन कुमार पुत्र राम किशन नि० भावापुर थाना को०बीकापुर अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 25/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 14.01.21 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम अवतार पुत्र राम कुमार नि० केवटहिया मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 13/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 14.01.21 को वादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र हरि प्रसाद नि० हरदोईया थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 डीएस 8017 मोटर साइकिल का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता का गम्भीर रूप से घायल हो जाना व मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 17/21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 14.01.21 को वादी श्री अनुराग वर्मा पुत्र मोहले नि० पस्तामाफी थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि साहब लाल पुत्र राम नाथ नि० पस्तामाफी थाना को०रुदौली अयोध्या आदि 02 नफर ट्रैक्टर से उपला टूट जाने की बात को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 14/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।